

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-अंग्रेजी/पीएससी/2015 आदेश संख्या 04 दिनांक 20.07.2015 द्वारा क्रम संख्या 15 मेरिट नं० 74 पर अंकित पवनप्रीत सिंह पुत्र एम.एस. खुराना, 2079, अग्रसेन नगर, जिला श्री गंगानगर को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राउमावि धेवड़ा, जोधपुर पदस्थापित किया गया था। इनके द्वारा गृह जिले श्री गंगानगर में पदस्थापन किये जाने बाबत एस.बी.सि. याचिका संख्या 1474/16 दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश दिये हैं।

अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन के साथ-साथ एस.बी.सि. याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरियता सूची, रिक्त पदों की स्थिति का अध्ययन विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी के पद की रिक्तियों की विज्ञप्ति राज्य भर के पदों की जारी की गई है तथा चयनित आशार्थियों की वरियता भी राज्य स्तर की जारी की गई है। एस.बी.सि. याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम सरकार का निर्णय द्वितीय वेतन श्रृंखला (वरिष्ठ अध्यापक) के पद के लिए है।

यह भी पाया गया कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा का पद राज्य स्तर की सेवा का पद है। इस पद पर कार्यरत लोक सेवक की सेवाएँ विभाग द्वारा पूरे राज्य में कहीं भी विद्यालय हित/छात्रहित व राज्य हित में ली जा सकती है। इस आधार पर याचिकार्थी का किया गया पदस्थापन सही व राज्य हित में है। इस आधार पर इनका अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित होंगे।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 5/7/16

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-1/एसबीसि.या.सं. 1474/पवनप्रीत/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
3. अति० जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. पवनप्रीत सिंह पुत्र एम.एस. खुराना, 2079, अग्रसेन नगर, जिला श्री गंगानगर
5. अनुभाग अधिकारी (विधि) कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी-2/जोध/29819/बी/2016/5 दिनांक 23.06.2016 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

7. ~~कामपूरा अनुमा~~

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-अंग्रेजी/पीएससी/2015 आदेश संख्या 10 दिनांक 20.07.2015 द्वारा क्रम संख्या 14 मेरिट नं० 186 पर अंकित राजेश कुमार पुत्र श्री भूराराम, मकान नं. 619, वार्ड नं. 43, आजाद नगर, नवलगढ रोड़, जिला सीकर को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राउमावि साडास, चित्तौड़गढ पदस्थापित किया गया था। इनके द्वारा गृह जिले सीकर में पदस्थापन किये जाने बाबत एस.बी.सि. याचिका संख्या 8756/15 दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश दिये हैं।

अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन के साथ-साथ एस.बी.सि. याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरियता सूची, रिक्त पदों की स्थिति का अध्ययन विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी के पद की रिक्तियों की विज्ञप्ति राज्य भर के पदों की जारी की गई है तथा चयनित आशार्थियों की वरियता भी राज्य स्तर की जारी की गई है। एस.बी.सि. याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम सरकार का निर्णय द्वितीय वेतन श्रृंखला (वरिष्ठ अध्यापक) के पद के लिए है।

यह भी पाया गया कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा का पद राज्य स्तर की सेवा का पद है। इस पद पर कार्यरत लोक सेवक की सेवाएं विभाग द्वारा पूरे राज्य में कहीं भी विद्यालय हित/छात्रहित व राज्य हित में ली जा सकती है। इस आधार पर याचिकार्थी का किया गया पदस्थापन सही व राज्य हित में है। इस आधार पर इनका अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित होंगे।



(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-1/एसबीसि.या.सं. 8756/राजेश कुमार/2015

दिनांक: 5/7/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
3. अति० जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. राजेश कुमार पुत्र श्री भूराराम, मकान नं. 619, वार्ड नं. 43, आजाद नगर, नवलगढ रोड़, जिला सीकर
5. अनुभाग अधिकारी (विधि) कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी-2/जोध/29884/डी/15/4 दिनांक 22.06.2016 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

7. क००२२ अ००००००

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-अंग्रेजी/पीएससी/2015 आदेश संख्या 03 दिनांक 20.07.2015 द्वारा क्रम संख्या 11 मेरिट नं 51 पर अंकित प्रवीण चुघ, पुत्र श्री नारायण दास, मकान नं. 37/6, वार्ड नं. 04, रविचौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राउमावि चामू, जिला जोधपुर पदस्थापित किया गया था। इनके द्वारा गृह जिले श्री गंगानगर में पदस्थापन किये जाने बाबत एस.बी.सि. याचिका संख्या 1565/16 दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश दिये हैं।

अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन के साथ-साथ एस.बी.सि. याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरियता सूची, रिक्त पदों की स्थिति का अध्ययन विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी के पद की रिक्तियों की विज्ञप्ति राज्य भर के पदों की जारी की गई है तथा चयनित आशार्थियों की वरियता भी राज्य स्तर की जारी की गई है। एस.बी.सि. याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम सरकार का निर्णय द्वितीय वेतन श्रृंखला (वरिष्ठ अध्यापक) के पद के लिए है।

यह भी पाया गया कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा का पद राज्य स्तर की सेवा का पद है। इस पद पर कार्यरत लोक सेवक की सेवाएँ विभाग द्वारा पूरे राज्य में कहीं भी विद्यालय हित/छात्रहित व राज्य हित में ली जा सकती है। इस आधार पर याचिकार्थी का किया गया पदस्थापन सही व राज्य हित में है। इस आधार पर इनका अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित हों।


(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएसएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक: 5/7/16

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-1/एसबीसि.या.सं. 1565/प्रवीण चुघ/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
3. अति० जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. प्रवीण चुघ, पुत्र श्री नारायण दास, मकान नं. 37/6, वार्ड नं. 04, रविचौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर
5. अनुभाग अधिकारी (विधि) कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी-2/जोध/29889/सी/16/2 दिनांक 23.06.2016 के संबन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

2 कलभूत कलका


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर